न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद मु० सीकर
शिवकुमार चौहान v/s TDR धोद   मु.नं. - 08/2020

04/01/21   पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली नस्ल आदेशानुसार दिनांक 11/02/21 को पेश होवे।

11/2/2021

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम चूड़ोली तहसील धोद के खसरा सं. 310 रकबा 3.6300 हेक्टेयर, खसरा सं. 311 रकबा 3.8800 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम श्योपाल पुत्र मन्ना अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिव कुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान है। प्रार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम शिव कुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्योपाल पुत्र मन्ना के स्थान पर शिव कुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "मजमे आम में मौके पर ग्राम चूड़ोली के खसरा सं. 310 व 311 में दर्ज श्योपाल पुत्र मन्ना का सही सही नाम शिवकुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान होना बताया गया। मौके पर खातेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचाल पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस तथा बैंक पास बुक के अनुसार प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम शिवकुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चूड़ोली तहसील धोद के खसरा सं. 310 रकबा 3.6300 हेक्टेयर, खसरा सं. 311 रकबा 3.8800 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम श्योपाल पुत्र मन्ना के स्थान पर शिव कुमार चौहान पुत्र मन्नाराम चौहान दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested